

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
विकास आयुक्त
सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

पटना, दिनांक 04-10-2018

विषय— उच्च स्तरीय बैठकों में मोबाईल फोन पास रखने पर रोक लगाने के संबंध में।


महाशय,

प्रायः देखा जाता है कि उच्च स्तरीय बैठक के दौरान बैठक में भाग लेने वाले अधिकारीगण समय-समय पर मोबाईल फोन पर व्यस्त रहते हैं जिसके कारण बैठक के संचालन में बाधा होती है।

उपर्युक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि वरीय स्तर (माननीय मुख्य मंत्री, विभागीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त आदि) पर आयोजित होने वाली बैठकों में कार्यालय/सभाकक्ष के अन्दर मोबाईल फोन रखने पर प्रतिबंध रहेगा।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,




(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापक—3/एम0-17/2018सां०प्र० 13218.../पटना-15, दिनांक 04-10-18

प्रतिलिपि— माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-4)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव